न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(नीलाभ सक्सेना,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र रसद संख्याः 01/2023

दायर दिनांकः 04.01.2023

निर्णय दिनांक 19.09.2023

—:अनवानः—

राज्य सरकार जरिये, लोकेश जोशी, प्रवर्तन निरीक्षक, नाथद्वारा —— **प्रार्थी**

—:बनामः—

श्री शान्तिलाल पुत्र श्री धुला जी कुम्हार, प्रो0 मै0 लक्ष्मी गैस देलवाडा, तहसील देलवाड़ा जिला राजसमन्द

—— **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थितः—

1— श्री अनिल बागोरा, राजकिय अधिवक्ता, अधिवक्ता प्रार्थी

2— श्री देवेन्द्र टांक, अधिवक्ता अप्रार्थी

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 14.12.2022 को हमराह श्री संदीप माथुर, जिला रसद अधिकारी, श्री विजय सिंह, प्रवर्तन अधिकारी, श्री चक्षु पंड्या, प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा तहसील देलवाड़ा में एल.पी.जी के अवैध व्यवसाय की शिकायत पर निरीक्षण पर पहुंचे। निरीक्षण के दौरान मै. लक्ष्मी गैस, देलवाड़ा तहसील देलवाड़ा जिला राजसमन्द प्रो. शान्तिलाल पुत्र श्री धुला कुम्हार द्वारा गैस संचालित दुकान पर एल.पी.जी का अवैध रूप से भण्डारण दुरूपयोग होने की सूचना पर आकस्मिक जांच हेतु पहूंचे। इस पर विस्तृत जांच हेतु श्री शान्तिलाल पुत्र धुला कुम्हार को दुरभाष पर वार्ता कर उनकी दुकान लक्ष्मी गैस पर उपस्थित होने हेतु पाबंद किया। इस पर शान्तिलाल कुम्हार मौके पर दुकान की चाबिया लेकर उपस्थित हुए एवं ताला खोलकर दुकान का निरीक्षण करवाया गया। निरीक्षण के दौरान लक्ष्मी गैस, देलवाड़ा दुकान एवं पास ही पड़े हुए लोडिंग टेम्पों में कुल 31 घरेलू, 17 व्यवसायिक एवं 09 पैट्रोमैक्स भण्डारित पाये गये। इस पर श्री शान्तिलाल कुम्हार को उक्त सिलेण्डरों के बारे में जानकारी चाही गई तो अप्रार्थी शान्तिलाल द्वारा उक्त गैस सिलेण्डर मै. कालिका गैस, मावली जिला उदयपुर से प्राप्त कर निजी लाभ के लिये वितरण एवं विक्रय करना बताया। इस पर अप्रार्थी से मै. कालिका गैस सर्विस से जारी बिल, गेटपास, बाउचर, उपभोक्ता डायरी एवं अन्य वैध दस्तावेज मांगे गये, जिस पर अप्रार्थी शान्तिलाल कुम्हार द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये, ना ही कोई संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत किया। प्रथम दृष्टया अप्रार्थी उक्त घरेलु एवं व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग

किये जाने की आशंका पर 31 घरेलू, 17 व्यवसायिक गैस सिलण्डर मय गैस एवं 9 पैट्रोमैक्स जब्त किये जाकर श्री भूरीलाल पुत्र श्री नानालाल गमेती, निवासी खमनोर हाल प्रतिनिधि मै. चन्देल भारत गैस, खमनोर जिला राजसमन्द को ठीक तरिके से सिपूर्द किये जाकर सुपूर्दीगीनामा तैयार करा पढ़कर, सुनाकर हस्ताक्षर करवाये गये। अतः श्री शान्तिलाल पुत्र श्री धुला कुम्हार प्रो0 मै. लक्ष्मी गैस, देलवाड़ा तहसील देलवाड़ा जिला राजसमन्द द्वारा घरेलु एवं व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया, जो दी लिक्वीफाईड पैट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000 का उल्लंघन किया हैं। उपरोक्त आदेश ई0सी0 एक्ट 1955 की धारा 7 के तहत दण्डनीय अपराध हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि जब्तशुदा 31 घरेलू, 17 व्यवसायिक गैस सिलण्डर मय 217.90 किलोग्राम गैस एवं 9 पैट्रोमैक्स को राजसात किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई। अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 10.07.2023 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी राज्य सरकार जरिये लोकेश जोशी, प्रवर्तन अन्तर्गत निरीक्षक, नाथद्वारा द्वारा आप श्रीमान के समक्ष प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का पेश कर प्रार्थी पर गलत आरोप लगाये गये है, जो कि गलत होकर मिथ्या है। विपक्षी मैसर्स लक्ष्मी गैस, देलवाड़ा का प्रोपराईटर होकर एक डिस्ट्रीब्यूटर (वितरक) होकर गैस सिलण्डर वितरण का कार्य करता है। प्रार्थी ने जो 31 घरेलु, 17 व्यवसायिक व 09 पेट्रोमैक्स सिलेण्डर विपक्षी द्वारा अवैध भण्डारित करना बताया है, वह कथन असत्य होकर वास्तविकता यह है कि प्रार्थी उक्त 31 घरेलु व 17 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर विपक्षी द्वारा मैसर्स कालिका गैस, मावली एवं रामकृष्ण भारत गैस, पीपरड़ा व मां इन्टरप्राईजेज से ग्राहकों को वितरण करने हेतु भण्डारण किये गये, जिनके बिल, गेट पास एवं गाड़ी नम्बर आदि सभी दस्तावेज विपक्षी के पास मौजुद है। प्रवर्तन निरक्षक द्वारा विपक्षी पर गलत आरोप लगाये जाकर रंजीशवश गलत तथ्य वर्णित कर दोषारोपण किया गया है। साथ ही जो 09 पेट्रोमैक्स गैस सिलण्डर प्रवर्तन निरीक्षक के कथनानुसार विपक्षी द्वारा भण्डारित करना बताया है, जिसकी वास्तविकता यह हैं कि उक्त 9 पेट्रोमैक्स गैस सिलण्डर का उपयोग योग्य नहीं होकर भंगार के रूप में विपक्षी के पास पड़े हुए थे, जिनका किसी प्रकार उपयोग–उपभाग विपक्षी द्वारा किया जाना संभव ही नहीं है, जो मात्र बेकार पड़े हुए थे। जिन्हें प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जब्त किया गया है विपक्षी के पास उपरोक्त सिलेण्डर के बिल, गेट पास एवं जिस गाड़ी से लाये गये उसके नम्बर आदि समस्त वांछित दस्तावेज मौजूद हैं, जो विपक्षी द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक जी को भी दिखाये गये, परन्तु उनके द्वारा गलत तथ्य वर्णित कर उक्त मिथ्या प्रार्थना–पत्र आप न्यायालय में पेश किया गया है। विपक्षी द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही तथा अवैध कृत्य नहीं किया गया है। विपक्षी सर्वथा निर्दोष एवं बेकसूर है जिस कारण न्यायहित में विपक्षी के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाकर प्रार्थना–पत्र खारिज होने योग्य हैं।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। प्रार्थी पेरोकार सरकार के द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये मुख्य रूप से यह कथन किया की अप्रार्थी के पास जब्त शुदा 48 सिलेण्डर तथा 09 पेट्रोमैक्स गैस सिलण्डर अवैध रूप से कालाबाजारी की नियत से संग्रहित किया जाना पाया गया

न्यायालय जिला कलक्टर

जिसके बारे में अप्रार्थी के द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी से जब्तशुदा 48 सिलेण्डर मय 217.9 किलोग्राम गैस तथा 09 पेट्रोमैक्स गैस सिलण्डर को राजसात किये जाने के आदेश प्रदान कराना फरमावे।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस में बताया कि विपक्षी मैसर्स लक्ष्मी गैस, देलवाड़ा का प्रोपराईटर होकर एक डिस्ट्रीब्यूटर (वितरक) होकर गैस सिलण्डर वितरण का कार्य करता है। प्रार्थी ने जो 31 घरेलु, 17 व्यवसायिक व 09 पेट्रोमैक्स सिलेण्डर विपक्षी द्वारा अवैध भण्डारित करना बताया है, वह कथन असत्य होकर वास्तविकता यह है कि प्रार्थी उक्त 31 घरेलु व 17 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर विपक्षी द्वारा मैसर्स कालिका गैस, मावली एवं रामकृष्ण भारत गैस, पीपरड़ा व मां इन्टरप्राईजेज से ग्राहकों को वितरण करने हेतु भण्डारण किये गये, जिनके बिल, गेट पास एवं गाड़ी नम्बर आदि सभी दस्तावेज विपक्षी के पास मौजुद है। प्रवर्तन निरक्षक द्वारा विपक्षी पर गलत आरोप लगाये जाकर रंजीशवश गलत तथ्य वर्णित कर दोषारोपण किया गया है। साथ ही जो 09 पेट्रोमैक्स गैस सिलण्डर प्रवर्तन निरीक्षक के कथनानुसार विपक्षी द्वारा भण्डारित करना बताया है, जिसकी वास्तविकता यह हैं कि उक्त 9 पेट्रोमैक्स गैस सिलण्डर का उपयोग योग्य नहीं होकर भंगार के रूप में विपक्षी के पास पड़े हुए थे, जिनका किसी प्रकार उपयोग–उपभाग विपक्षी द्वारा किया जाना संभव ही नहीं है, जो मात्र बेकार पड़े हुए थे। जिन्हें प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जब्त किया गया है विपक्षी के पास उपरोक्त सिलेण्डर के बिल, गेट पास एवं जिस गाड़ी से लाये गये उसके नम्बर आदि समस्त वांछित दस्तावेज मौजूद हैं, जो विपक्षी द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक जी को भी दिखाये गये, परन्तु उनके द्वारा गलत तथ्य वर्णित कर उक्त मिथ्या प्रार्थना–पत्र आप न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थी के 31 घरेलु, 17 व्यवसायिक व 09 पेट्रोमैक्स सिलेण्डर पिछले छः माह से जब्त किये हुए हैं। उक्त प्रकरण के संबंध में अनुसंधान पूर्ण कर लिया है तथा उक्त सिलेण्डर की अब विभाग को कोई आवश्यकता नही हैं। तथा प्रार्थी उक्त सिलेण्डरो को सिपूर्दगी नामे, जमानत नामें के आदेश पर भी प्राप्त करना चाहता हैं। विपक्षी द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही तथा अवैध कृत्य नहीं किया गया है। विपक्षी सर्वथा निर्दोष एवं बेकसूर है जिस कारण न्यायहित में विपक्षी के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाकर प्रार्थना–पत्र को खारिज फरमाया जावें।

उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी से जब्तशुदा उक्त सिलेण्डर अप्रार्थी के नही होकर गांव के उपभोक्ताओं के होना प्रथम दृष्टया प्रकट होता है। जांच के दौरान इन सिलेण्डरों की कालाबाजारी एवं कोई दुरूपयोग किया जा रहा हो ऐसा तथ्य भी जांच मे वर्णित नहीं है। केवल मात्र अप्रार्थी की दूकान पर अवैध रूप से संग्रहित होने के आधार पर उक्त सिलेण्डर जब्त किये है। जबकि उक्त गैस सिलेण्डर ग्राहकों को वितरण करने हेतु भण्डारण किये गये, जिनके बिल, गेट पास एवं गाड़ी नम्बर आदि सभी दस्तावेज विपक्षी के पास मौजुद है। ऐसी स्थिति में गांव के उपभोक्ताओं के उक्त जब्तशुदा सिलेण्डरों को इन उपभोक्ताओं को लौटाया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। उक्त मामले में जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित गैस एजेन्सियों को पाबन्द करे कि गांव के उपभोक्ताओं में गैस सिलेण्डर की आपूर्ति इस प्रकार से की जावे कि उपभोक्ताओं को अन्य की दूकान पर सिलेण्डर रखे

न्यायालय जिला कलक्टर

जाने की आवश्यकता ही नही रहे जिससे भविष्य में इस प्रकार की दुबारा स्थिति उत्पन्न नहीं हो तथा 09 पेट्रोमैक्स गैस सिलेण्डर जो उपयोग योग्य नहीं होकर भंगार के रूप में विपक्षी के पास पड़े हुए थें उन्हे राजसात किया जावें। साथ ही अप्रार्थी से उक्त 31 घरेलु, 17 व्यवसायिक सिलेण्डरो का सिपूर्दगी एवं जमानत नामा भी लिया जावें।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है तथा अप्रार्थी से जब्तशुदा 48 गैस सिलेण्डर (31 घरेलु तथा 17 व्यवसायिक) मय 217.9 किलोग्राम गैस, गांव के संबंधित गैस एजेन्सियों को लौटाये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त मामले में जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित गैस एजेन्सियों को पाबन्द करे कि गांव के उपभोक्ताओं मे गैस सिलेण्डर की आपूर्ति इस प्रकार से की जावे कि उपभोक्ताओं को अन्य की दूकान पर सिलेण्डर रखे जाने की आवश्यकता ही नही रहे जिससे भविष्य में इस प्रकार की दुबारा स्थिति उत्पन्न नहीं हो तथा 09 पेट्रोमैक्स गैस सिलेण्डर जो उपयोग योग्य नहीं होकर भंगार के रूप में विपक्षी के पास पड़े हुए थें उन्हे राजसात किया जावें। साथ ही अप्रार्थी से उक्त 31 घरेलु, 17 व्यवसायिक सिलेण्डरो का सिपूर्दगी एवं जमानत नामा लिया जावें एवं जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द यह भी सुनिश्चित करे कि संबंधित गैस एजेन्सियों द्वारा उक्त कृत्य दोहराया जाता है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावें।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 19.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(नीलाभ सक्सेना)
जिला कलक्टर
राजसमंद